



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.: H-70959/NGT-106/2022

Dated: 28.01.2022

To,  
**The Registrar,  
National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi.  
E-mail: judicial-ngt@gov.in**

**Sub.: Action Taken Report in compliance of the order dated 25.01.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Execution Application No. 24/2021 In Re: Original Application No. 989/2019, Ved Prakash Aggrawal Versus Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad**

Sir,

That in compliance of the order dated 25.01.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Execution Application No. 24/2021 In Re: Original Application No. 989/2019, Ved Prakash Aggrawal Versus Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad, the Action Taken Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Therefore, the Action Taken Report is attached herewith for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,

(Vivek Roy)

Chief Environment Officer

**Copy to:**

1. Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Law Officer-I, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

(Vivek Roy)

टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831,  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
e-mail : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

**ACTION TAKEN REPORT**  
**IN COMPLIANCE OF**  
**HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL'S ORDER**  
**DATED 25<sup>TH</sup> JANUARY, 2022**  
**IN**  
**EXECUTION APPLICATION NO. 24/2021 IN O. A. NO.**

**989/2019**

**TITLED**

***VED PRAKASH AGGARWAL***

***VERSUS***

***MUNICIPAL COMMISSIONER, NAGAR NIGAM GHAZIABAD***

**Filed On Behalf of:**  
**Uttar Pradesh Pollution Control Board**

## 1. Background

While hearing the Original Application 989/2019, *Ved Prakash Aggrawal v. Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad* which dealt with issue of illegal operation of dairy farms in residential colony of Chiranjeev Vihar, Ghaziabad, Hon'ble Tribunal had acknowledged the actions taken by State PCB and disposed the matter on 08.10.2020.

Thereafter, present Execution Application has been filed by the petitioner and Hon'ble Tribunal vide its order dated 08.09.2021 had directed State Board and Municipal Corporation to take further necessary action in exercise of statutory powers following due process of law.

As acknowledged by Hon'ble Tribunal, the action was initiated by State Board against violators. Also, "*Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas*" were sent to Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad, Secretary, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad, Deputy Commissioner, U.P. Housing and Development Board, Ghaziabad and Executive Officers of all local bodies in Ghaziabad by Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad vide letter dated 27.08.2020. Copy of same is annexed as ***Annexure I***

Further, in compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 08.09.2021 site inspections and subsequent actions have been taken by Board against illegal dairies in Chiranjeev Vihar area of Ghaziabad by means of issuance of closure notices under relevant sections of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and imposition of Environmental compensation by adopting guidelines issued by the Central Pollution

Control Board. Also, additional illegal dairies have been inventorized and similar actions have been taken against them as well. Detailed action taken report is present hereunder.

## **2. Action Taken Report**

In compliance to the order passed by Hon'ble Tribunal on 08.09.2021 in the present matter, to ascertain the status of compliance of earlier directions issued to illegal dairies a joint inspection of the Chiranjiv Vihar area was carried out by team of U.P. Pollution Control Board and Ghaziabad Nagar Nigam on 30.11.2021.

During said inspection, out of 14 dairy farms identified in the area, only 01 dairy farm, namely M/s Ran Singh listed at serial number 9 in the table below had complied with the directions and closed its operations completely. Rest 13 were found operational, the smallest dairy farm had 4 animals and the biggest one had 22 animals. Accordingly, all these dairy farms are classified under Category I (upto 25 animals) as per Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas. Details of all 14 dairy farms is as listed in Table 1 below.

<b>S. No.</b>	<b>Name &amp; address</b>	<b>Category Classification</b>	<b>No. of animals</b>
1.	Shri Indra Mohan Sharma, A-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Category I	13
2.	Shri Jitendra Nagar, 392, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	14
3.	Shri Ravindra Putra Shri Jagan Singh, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	17
4.	Shri Hari Kishan, A-1,2,3, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	22

5.	Shri Deepak Chaudhary, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	04
6.	Shri Kiranpal Singh, Sector 3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Category I	07
7.	Shri Brahm Singh, Plot Nambi-5, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	08
8.	Shri Premveer Singh, B-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	17
9.	Shri Ran Singh, B-1, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	0 (closed)
10.	Shri Sundar Yadav, C-4, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	21
11.	Shri Dinesh Kumar, Plot No-447, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	13
12.	Shri Gyanveer, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Category I	10
13.	Shri Jaipal, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar,	Category I	07
14.	Shri Asharam, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	07

**Table 1:** List of 14 Dairy Farms Identified during Initial Field Visits in Chiranjiv Vihar

In view of non-compliance of show cause notices issued and operation of dairy farms in violation of laid down procedures of environment management in guidelines, closure orders have been issued by the State Board against 13 non-complying dairy farms on 10.01.2022. Also, an environmental compensation of Rs. 1,65,000/- has been imposed against each of these 13 dairy farms by the State Board. Copy of closure orders of 13 dairy farms is annexed as **Annexure II** of the action taken report.

Further, during joint visit on dated 30.11.2021, 06 additional dairy farms were found operational in Chiranjiv Vihar area, again all these are classified under Category I as per Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas. Details of these dairy farms is as listed in Table 2 below.

S. No.	Name & address	Category Classification	No. of animals
1.	Shri Hansraj S/o Giriraj, A-1/ 127, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Category I	14
2.	Shri Jaiprakash S/o Chaman Singh, A-1/ 126, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Category I	09
3.	Shri Harikishan S/o Balkishan, Sector- 10/21, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	15
4.	Shri Arvind S/o Yogendra, 230, Sector- 10, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	18
5.	Shri Vinod S/o Brahmpal, sector- 09, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Category I	12
6.	Shri Dayaram S/o Kaluti, behind Awantika chowki, Ghaziabad	Category I	09

**Table 2:** List of Additional 6 Dairy Farms Identified in Chiranjiv Vihar

In view of non-compliances observed, show cause notice was issued to these 6 dairy farms under relevant sections of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 on 05.01.2022. Subsequently, closure orders have been issued on 27.01.2022 and an environmental compensation of Rs. 2,85,000/- (Two Lakhs Eighty Five Thousand Only) has been imposed against each of these 6 dairy farms listed in Table 2. Copy of closure orders is annexed as **Annexure III** of the action taken report.

Further, in compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 25.01.2022 a team of District Administration, Police, Ghaziabad Nagar Nigam, UP Pollution Control Board and UP Power Corporation Ltd. carried out joint inspection of the said area to verify compliance of directions of Hon'ble Tribunal and closure orders issued by the State Board. Site report along with photographs is detailed hereunder.

**1. Shri Indramohan Sharma, A-3, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Photographs are as below.



**2. Shri Jitendra Nagar, 392, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



**3. Shri Ravindra S/o shri Jagan singh, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



4. Shri Harikishan S/o shri A-123, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



5. **Shri Deepak Chaudhery, A-1/125, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



6. **Shri Kiranpal, A-1/128, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



7. **Shri Brahm Singh, B-5, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Photographs are as below.



8. **Shri Premveer, B-3, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Photographs are as below. Photographs are as below.



9. **Ran Singh, B-1, Sector 2, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad**

Dairy farm was found closed during earlier inspection on 30.11.2021. Status quo found on site.

**10. Shri Sundar Yadav, C-4, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team.

Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



**11. Shri Dinesh Kumar, Plot no. 447, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, it was observed that dairy premise has been vacated by the dairy owner and it was not operational in compliance of Board's directions. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



**12. Shri Gyanveer, Plot no. 445, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, it was observed that dairy premise has been vacated by the dairy owner and it was not operational in compliance of Board's directions. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there.



**13. Shri Jaipal, Plot no. 445, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, it was observed that dairy premise has been vacated by the dairy owner and is not operational in compliance of Board's directions. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



**14. Shri Asharam, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



15. **Shri Hansraj S/o shri Giriraj, A-127, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



16. **Shri Jaiprakash S/o Shri Chaman singh, A-1/126, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, dairy was found operational. Total 07 buffaloes and 02 calf were confiscated by Municipal Corporation Ghaziabad. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy owner was also there.



**17. Shri Harikishan S/o Shri Balkishan, sector-10/21, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there.



**18. Shri Arvind S/o Shri Yogendra, 230, sector-10, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



**19. Shri Vinod S/o Shri Brahmopal, Sector-09, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



**20. Shri Dayaram S/o Shri Kaluti, Behind Awantika police chowki, Ghaziabad-**

During inspection, dairy was found operational. Total 07 buffaloes and 04 calf were confiscated by Municipal Corporation Ghaziabad. Submersible pump/ Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below



**21. Shri Neeraj S/o Shri Giriraj, 158, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Site Photograph is as below.



**22. Smt. Sudha W/o Shri Ranjit, 157, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photograph is as below.



**23. Shri Chhatrapal S/o Shri Manphool, 171, Sehkari Nagar, Chiranjeev Vihar**

**Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done.

Photographs are as below.



**24. Shri Sompal S/o Shri Ramprashad, 174, Sehkari Nagar, Chiranjeev Vihar**

**Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



**25. Shri Omveer S/o Shri Munshi, 89, Sehkari Nagar, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, dairy was found operational. Total 02 buffaloes were confiscated by Municipal Corporation Ghaziabad. Submersible pump/ Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



Brief Summary of above action taken has been detailed in Table 3 below.

<b>S. No.</b>	<b>Name &amp; address</b>	<b>Directions already Issued by Board Before 25.1.2022</b>	<b>Compliance Status &amp; Action Taken</b>
1.	Shri Indra Mohan Sharma, A-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
2.	Shri Jitendra Nagar, 392, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders.

			Electricity and Water Connection Disconnected
3.	Shri Ravindra Putra Shri Jagan Singh, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
4.	Shri Hari Kishan, A-1,2,3, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
5.	Shri Deepak Chaudhary, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
6.	Shri Kiranpal Singh, Sector 3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
7.	Shri Brahm Singh, Plot Nambi-5, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected

8.	Shri Premveer Singh, B-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
9.	Shri Ran Singh, B-1, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Complied with Show Cause directions.	Found closed on 30.11.2021. Status quo maintained.
10.	Shri Sundar Yadav, C-4, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
11.	Shri Dinesh Kumar, Plot No-447, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Closed in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
12.	Shri Gyanveer, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Closure Order Issued on 10.01.2022	Closed in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected.
13.	Shri Jaipal, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar,	Closure Order Issued on 10.01.2022	Closed in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
14.	Shri Asharam, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Closure Order Issued on 10.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders. Electricity and Water Connection Disconnected
15	Shri Hansraj S/o Giriraj, A-1/ 127, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Show Cause Issued on 5.1.22	Voluntarily closed and vacated site during

		(Closure order issued on 27.01.2022)	enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of Show cause notice. Electricity and Water Connection Disconnected
16	Shri Jaiprakash S/o Chaman Singh, A-1/ 126, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	Show Cause Issued on 5.1.22 (Closure order issued on 27.01.2022)	<b>Operational.</b> Electricity and Water Connection Disconnected. 7 Buffaloes and 2 calves taken into custody by GNN
17	Shri Harikishan S/o Balkishan, Sector- 10/21, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Show Cause Issued on 5.1.22 (Closure order issued on 27.01.2022)	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of Show cause notice. Electricity and Water Connection Disconnected
18	Shri Arvind S/o Yogendra, 230, Sector- 10, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Show Cause Issued on 5.1.22 (Closure order issued on 27.01.2022)	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of Show cause notice. Electricity and Water Connection Disconnected
19	Shri Vinod S/o Brahmpal, sector-09, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	Show Cause Issued on 5.1.22 (Closure order issued on 27.01.2022)	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of Show cause notice. Electricity and Water Connection Disconnected
20	Shri Dayaram S/o Kaluti, behind Awantika chowki, Ghaziabad	Show Cause Issued on 5.1.22 (Closure order issued on 27.01.2022)	<b>Operational.</b> Electricity and Water Connection Disconnected. 7 Buffaloes and 4 calves taken into custody by GNN
21	Shri Neeraj S/o Shri Giriraj, 158, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad	Identified during inspection on 26.1.2022. Closure	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on

		order issued by Board on 26.01.2022	26.01.2022 in compliance of closure orders and directions of the Joint Committee. Electricity and Water Connection Disconnected
22	Smt Sudha W/o Shri Ranjit, 157, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad	Identified during inspection on 26.1.2022. Closure order issued by Board on 26.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders and directions of the Joint Committee. Electricity and Water Connection Disconnected.
23	Shri Chhatrapal S/o Shri Manphool. 171, Sehkari Nagar, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad	Identified during inspection on 26.1.2022. Closure order issued by Board on 26.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders and directions of the Joint Committee. Electricity and Water Connection Disconnected.
24	Shri Sompal s/o Shri Ramprashad, 174, Sehkari Nagar, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad	Identified during inspection on 26.1.2022. Closure order issued by Board on 26.01.2022	Voluntarily closed and vacated site during enforcement drive on 26.01.2022 in compliance of closure orders and directions of the Joint Committee. Electricity and Water Connection Disconnected.
25	Shri Omveer s/o Shri Munshi, 89, Sehkari Nagar, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad	Identified during inspection on 26.1.2022. Closure order issued by Board on 26.01.2022	<b>Operational.</b> Electricity and Water Connection Disconnected. 2 Buffaloes taken into custody by GNN

**Table 3:** Summary of Action Taken against Illegal Dairy Farms in Chiranjiv Vihar, Ghaziabad

As is summarized in the Table 3, directions were issued by Board to 20 (13 Closures and 7 Show causes) dairy farms, of which all 4 dairy farms against which closure/show cause orders were issued had stopped operations and vacated their site by 25.01.2022 in compliance of directions. Among others, 14 dairy farms against whom closure/show cause notices were issued voluntarily stopped operations and vacated their sites during enforcement drive on 26.01.2022 and only two were found operational at the time of inspection by the joint team on 26.01.2022 from where animals were taken into custody by Ghaziabad Nagar Nigam. Board has imposed net environmental compensation of Rs. 38,59,000/- against 19 of these defaulting dairies.

Also, 05 additional dairy farms were identified in nearby areas out of which one was operational and animals from this site as well were taken into custody by Ghaziabad Nagar Nigam. Closure order against these dairy farms has been issued by Board on 26.01.2022 itself. Copy of same is annexed as **Annexure-IV**.

Electricity and water supply of all the sites has been disconnected by the joint team on 26.01.2022 and animals from 3 operational farms have been taken into custody by Ghaziabad Nagar Nigam. Joint Committee has also ensured sealing in all dairy farms where separate entry to residential premises was available.

Further, Public notice has again been issued by Regional Office, UP Pollution Control Board, Ghaziabad in Hindi daily newspapers (Amar Ujala and Hindustan) on 28.01.2022 to bring to the notice of all dairy farms/gaushalas to obtain Consent to Operate under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 in compliance of "Guidelines for

Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas” issued by Central Pollution Control Board. Copy of same is annexed as **Annexure V**.

Also, to further improve the status of compliance in dairy farms/gaushalas operational elsewhere in the district, directions have been issued to all concerned agencies vide letter dated 27.01.2022 to ensure compliance of Environmental laws Copy of same is annexed as **Annexure VI**.

Thus, as is evident from above action taken report, State Board has been monitoring and passing prohibitory orders in the said matter in order to safeguard the environment in the Chiranjiv Vihar area of Ghaziabad in compliance of Hon’ble Tribunal’s orders. However, verification of closure orders issued and status regarding the same could not be ascertained earlier, as there was an outbreak of COVID-19 at Regional Office, Ghaziabad in which 17 employees were infected/under isolation since 14.01.2022 and thereafter engaged in training for upcoming General Elections to Legislative Assembly of Uttar Pradesh which are scheduled in the first phase in District Ghaziabad. Nevertheless, utmost care shall be taken henceforth to ensure that compliances are not only ensured but communicated to the Hon’ble Tribunal as well.

Action taken report is hereby submitted for kind perusal and further necessary action.

  
28.01.2022

(Anshul Sharma)  
Junior Engineer  
UPPCB, Ghaziabad

  
28/01/22

(B.K. Singh)  
Assistant Environment Engineer  
UPPCB, Ghaziabad

  
28/1/22

(Utsav Sharma)  
Regional Officer  
UPPCB, Ghaziabad



संदर्भ संख्या : 298 /NGT-95/OA No-989/19/2020

दिनांक 27/08/2020

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. उपायुक्त, आवास विकास परिषद, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गाजियाबाद।

*Mail*

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....3. Accordingly, further report has been filed by Municipal Corporation, Ghaziabad inter-alia stating that the matter should be dealt with by the Development Authorities (the Awas Vikas Parishad).

4. We are of the view that the State Pollution Control Board needs to take action in view of patent violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and order of this Tribunal dated 20.05.2020 in O.A. 46/2018, Nuggehalli Jayasimha v. Government of NCT of Delhi.

5. Let action taken report be filed before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेरियों का निरीक्षण कर अद्यतन आख्या मा० अधिकरण में दाखिल की जानी है। डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 631/NGT-95/OA No-989/19/2020 दिनांक 10.08.2020 द्वारा आपको प्रेषित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत स्थित आवासीय क्षेत्रों/कर्मिणियल क्षेत्रों स्थित डेयरियों की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे आख्या मा० एन०जी०टी० में ससमय प्रस्तुत की जा सकें। अग्रेतर अवगत कराना है कि वाद की अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 08.10.2020 नियत है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*[Signature]*

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

*[Signature]*

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक

470302 / सी-1 / सा०-616 / बन्दी आदेश-जल / 2021

दिनांक-

10/1/22

श्री किरनपाल सिंह,  
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद भैंस के पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के रूप में कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 170304 /सी-1/सा0-622/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक-10/1/22

श्री जयपाल,  
प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2,  
चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री जयपाल, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि कच्चे माल के रूप में गाय/भैंस के पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के रूप में कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2- यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक H/70305 /सी-1/सा0-613/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक 10-1-22

श्री जितेन्द्र नागर,  
प्लॉट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लॉट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 470308 /सी-1/सा0-615/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक- 10/1/22

श्री हरि किशन,  
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को तत्काल बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक *H70306* /सी-1/सा०-620/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत  
दिनांक- *10/1/22*

श्री दिनेश कुमार,  
प्लॉट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को तत्काल बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 470307 /सी-1/सा0-612/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत  
दिनांक- 10/1/22

श्री इन्द्र मोहन शर्मा,  
ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 470303 /सी-1/सा०-617/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत  
दिनांक 10/1/22

श्री ब्रह्म सिंह,  
प्लॉट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 170309 /सी-1/सा०-621/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत

दिनांक 10/1/22

श्री ग्यानवीर,  
प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री ग्यानवीर, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवम् इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 170310 /सी-1/सा0-614/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक-10/1/22

श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह,  
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई मैसर्स श्री किरनपाल सिंह सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 470311 / सी-1 / सा०-611 / बन्दी आदेश-जल / 2021

पंजीकृत  
दिनांक 10-1-22

श्री आशाराम,  
सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया--1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 470312 / सी-1 / सा०-610 / बन्दी आदेश-जल / 2021

दिनांक-10/1/22

श्री दीपक चौधरी,  
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

...2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 470313

/सी-1/सा०-18/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक 10/1/22

श्री प्रेमवीर सिंह,  
बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधा सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक H70314

/सी-1/सा0-619/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक 10-1-22

श्री सुन्दर यादव,  
प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



## जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीरही-12वी, विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70895 / सी-1 / सा0-817 / बन्दी आदेश-जल / 2021

प्राधिकृत  
दिनांक- 27/01/2022

श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र,  
230, सेक्टर-10, चिरजीव विहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरजीव विहार, गाजियाबाद जां कि गाय/बैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अभिनिर्माण का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

आतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आरख्या एवम् संस्तुति तथा भा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पित्तासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिराने पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK ROY Digitally signed by VIVEK ROY Date: 2022.01.27 19:57:29 +05'30'

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आरख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK ROY Digitally signed by VIVEK ROY Date: 2022.01.27 19:57:57 +05'30'

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70896/सी-1/सा०- 818/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत  
दिनांक- 27/01/2022

श्री दयाराम पुत्र कलूटी,  
अवन्तीका चौकी के पीछे,  
गाजियाबाद

यह कि श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्भाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अंतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पचासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

**VIVEK** Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date:  
2022.01.27  
19:58:43 +05'30'  
**ROY**  
( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**VIVEK** Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date:  
2022.01.27  
19:59:00 +05'30'  
**ROY**

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर लखनऊ

पत्रांक H 70897/सी-1/सा०-821/बन्दी आदेश-जल/2021

प्रजोक्त  
दिनांक- 27/01/2022

श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज,  
ए-1/127, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् सन्तुष्टि तथा मा० एनएलजी०२०१० के अदेशों के अनुपालन में श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पिचासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसंपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिरामें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK  
ROY

Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date: 2022.01.27  
19:59:32 +05'30'

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK  
ROY

Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date:  
2022.01.27  
19:59:54 +05'30'

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी. विंगूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70898 /सी-1/सा10-820/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत  
दिनांक- 27/01/2022

श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन,  
सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निवेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पित्तसी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सही बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

**VIVEK** Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date: 2022.01.27  
20:00:30 +05'30'  
**ROY**  
( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**VIVEK** Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date:  
2022.01.27  
20:00:44 +05'30'  
**ROY**

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70899/सी-1/सा0-819 /बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत  
दिनांक- 27/01/2022

श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह,  
ए-1/126, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पूर्ति करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पियासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरावित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ रिजर्व बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड--UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

**VIVEK** Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date:  
2022.01.27  
20:01:16 +05'30'

**ROY**

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**VIVEK** Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date:  
2022.01.27  
20:01:33 +05'30'

**ROY**

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70900/सी-1/सा०-822/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत  
दिनांक- 27/01/2022

श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल,  
सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित विन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाय।

अति क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् सस्सुति तथा गा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पित्तासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date: 2022.01.27  
20:02:04 +05'30'

ROY

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK Digitally signed  
by VIVEK ROY  
Date: 2022.01.27  
20:02:21 +05'30'

ROY

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

ANNEXURE-IV

पत्रांक 08/सीईआर०-न०/सी-1/सा०-862/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत  
दिनांक-26/01/2022

श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद,  
174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विधुत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1 यह कि श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोगती नगर, लखनऊ

पत्रांक 07/सीईओ-कैम्प/सी-1/सा०-860/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत  
दिनांक- 26/01/2022

श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज,  
158, चिरंजीव विहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 158, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 158, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1 यह कि श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 158, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 158, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोगती नगर, लखनऊ

पत्रांक 06/सिईओ-वेअर /सी-1/सा०-859/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत  
दिनांक-26/01/2022

श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत,  
157, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

9. यह कि श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रकिया के संचालन को बन्द कर दें।
10. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 05/सीईओ-कैम्प / सी-1 / सा०-863 / बन्दी आदेश-जल / 2022

पंजीकृत  
दिनांक- 26/01/2022

श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी,  
89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रकिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 04/राइओ-कैम्प/सी-1/सा०-861/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत  
दिनांक-26/01/2022

श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल,  
171, चिरंजीव बिहार,  
गाजियाबाद

यह कि श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/बैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1 यह कि श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

## ANNEXURE-V

27-27/01/2022

प्रत्याशा है। एजसा चुनाव लड़ाएगी। ब्यूरो लना-दना नहा ह। बचाव पक्ष क वकाल अनुमात क लिए व अजा दग। एजसा

### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

**घारा 82 सीआरपीसी देखिए**

मेरे समक्ष परिलक्षित किया गया है कि अभियुक्त रियाजुद्दीन @ राजू, पुत्र: शम्बीर, पता: म० नं०: 520, गली नंबर 12, मजार वाली गली, नेहरू विहार, गोकुलपुरी, दिल्ली ने case FIR No. 504/2021, U/s 395/392/394/411/506/120B/34 IPC & 25/57 Arms Act, at थाना लाहौरी गेट, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त रियाजुद्दीन @ राजू, मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त रियाजुद्दीन @ राजू, फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 504/2021, U/s 395/392/394/411/506/120B/34 IPC & 25/57 Arms Act, at थाना लाहौरी गेट, दिल्ली के उक्त अभियुक्त रियाजुद्दीन @ राजू, से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त पश्चिाद का उत्तर देने के लिए 10.03.2022 को या इससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार  
श्री नेहा गुप्ता  
महानगर दण्डाधिकारी,  
तीसहजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/1911/N/2022-(Court Matter).




**क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद**  
Regional Office: U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad-201012  
Website: www.uppcb.com | Email: roghaziabad@uppcb.in  
Phone No.: 0120-4160108

**ड्रेयो फार्म / गोशालाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक सूचना / निर्देश**

ना० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46 / 2018 नुगेहल्ली जयसिंह बनाम गर्वनमेन्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में पारित आदेशों के अनुपालन में ड्रेयो फार्म / गोशालाओं में पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है, जो बोर्ड की वेबसाइट ([www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)) पर उपलब्ध है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में समस्त ड्रेयो फार्म एवं गोशालाओं के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गाइडलाइन के अनुसार ड्रेयो फार्म / गोशालाओं का संचालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद**  
आई एन एस-2, सैक्टर-16, बसुधरा, गाजियाबाद

**नों के हित में हरियाणा में  
मग्रस्त एवं लवणीय  
भूमि सुधार योजना**







# ANNEXURE-VI

## क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 19.519.../सा0पत्रा0-270/2022

दिनांक 27/07/2022

मा0 एनजीटी प्रकरण/महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. उपायुक्त, उ0प्र0 आवास विकास एवं परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, मोदीनगर/मुरादनगर/लोनी/खोड़ा मकनपुर पतला/निवाड़ी/डासना/फरीदनगर, गाजियाबाद।

mail

**विषय:** क्षेत्र में स्थित समस्त डेयरी फार्म एवं गौशालाओं द्वारा जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 798/एनजीटी-95/ओए नं-989/19/2020 दिनांक 27.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेयरी फार्म एवं गौशालाओं द्वारा जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये थे, छायाप्रति संलग्न है। अग्रेतर अवगत हो कि डेयरी फार्म एवं गौशालाओं द्वारा जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेयरी फार्म/गौशालाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक सूचना/निर्देश दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित कर जन सामान्य को अवगत कराया जा चुका है।

अग्रेतर अवगत हो कि उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 989/2019 ई0ए0 नं-24/2021 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में वाद की सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 01.02.2022 नियत है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आवासीय क्षेत्रों/कर्मिणियल क्षेत्रों में स्थित डेयरियों की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010